केवल आतंरिक परिचालन हेतु

भारतीय खाद्य निगम

एलडीपीई के माध्यम से एपीएस के तहत सूचना संख्या 04/2022-एफसीआई श्रेणी ।

(एफसीआई एचआरएमएस पोर्टल: www.hrmsfci.in / वेबसाइट: www.fci.gov.in)

निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले एफसीआई के **सेवारत पात्र** कर्मचारियों से सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (एलडीपीई) आयोजित करके त्वरित पदोन्नति योजना (एपीएस) के तहत निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

रिक्तियां*:

पद	पद कोड	वतेनमान (आईडीए पैटर्न)	अजा	अजजा	अना	कुल	पीडब्ल्यूबीडी				
							क	ख	ग	घ तथा ड़	कुल
सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन)	क	रू. 60,000 – 1,80,000/-	3	1	17	**21**	1	0	0	0	1
सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)	ख	रू. 60,000 – 1,80,000/-	0	0	1	**1**	0	1	0	0	1
सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	ग	रू. 60,000 – 1,80,000/-	0	0	4	**4**	0	1	0	0	1
Total			**3**	**1**	**22**	**26**	**1**	**2**	**0**	**0**	**3**

अना – अनारक्षित; अजा – अनुसूचित जाति; अजजा – अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी–बेंचमार्क निशक्त व्यक्ति।

पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी को हॉरिजान्टल आरक्षण प्रदान किया गया है।

* **रिक्तियों की संख्या भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित हो सकती है।**

<u>पात्रता मानदंड:</u>

(i) एपीएस के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता मौजूदा पदोन्नति दिशानिर्देशों के अनुसार होगी अर्थात निगम के सभी मौजूदा श्रेणी- ॥ कर्मचारी अपने संबंधित संवर्ग में अपनी मौजूदा योग्यता के साथ श्रेणी- । पदों के लिए एपीएस के तहत पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(ii) एपीएस के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एपीएआर ग्रेडिंग उस वर्ष से पिछले तीन वर्षों के लिए 'बहुत अच्छी' होगी जिसमें सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा अधिसूचित की गई है।

(iii) एपीएस के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए आवेदन करते समय और चयन की स्थिति में एपीएस के तहत पदोन्नति के आदेश के समय कर्मचारियों को सतर्कता के दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए।

(iv) श्रेणी-I (एजीएम स्तर) पदों पर नियुक्ति के लिए एपीएस के तहत सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा में बैठने के लिए श्रेणी- II पद में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव पात्रता मानदंड होगा। तीन साल के अनुभव में प्रशिक्षण और परिवीक्षा अवधि शामिल नहीं होगी। अनुभव की गणना दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार की जाएगी।

(v) एलडीपीई में कुल अंकों का 10% प्रशिक्षण या/और परिवीक्षा अवधि को छोड़कर तीन साल से अधिक के अनुभव के लिए इस तरह से आवंटित किया जाएगा कि सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 1% अंक आवंटित किए जा रहे हैं जो अधिकतम 10% के अधीन है। कुल अंकों का शेष 90% ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(vi) अनुभव के आधार पर अंक आबंटित करने के प्रयोजन से परिवीक्षा पूर्ण करने की गणना की तिथि प्रबंधक (प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तथा प्रबंधक का पद (प्रशिक्षण पूरा होने के बाद) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष होगी। यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी गई है, चाहे पुष्टि आदेश जारी करने की तारीख कुछ भी हो।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए, डीओपीटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभागीय प्रतियोगी/अर्हता परीक्षा के मानकों में छूट का पालन किया जाएगा।

(viii) एलडीपीई के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना (एपीएस) केवल एक ही संवर्ग के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और क्रॉस कैडर त्वरित पदोन्नति योजना उपलब्ध नहीं होगी।

(ix) प्रबंधक (डिपो) और प्रबंधक (सामान्य) दोनों, अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, एजीएम (सामान्य प्रशासन) के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

<u>नोट:</u>

क. आवेदन का तरीका केवल **<u>ऑनलाइन</u>** है। आवेदन पत्र की मुद्रित / हार्ड कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. **ऊपरी आयु सीमा और प्रयासों की संख्या:** एपीएस के तहत एलडीपीई में उपस्थित होने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। हालांकि, श्रेणी- I (एजीएम) स्तर के पदों के लिए एपीएस के तहत नियुक्ति के लिए एलडीपीई में उपस्थित होने के लिए अधिकतम चार प्रयासों की अनुमति होगी।

ग. एपीएस प्रोन्नति का उप भाग होने के कारण योजना, परिवीक्षा, दंड, आरक्षण रोस्टर आदि के अनुसार पात्रता निर्धारित करने की तिथि के संदर्भ में सभी नियम/दिशानिर्देश वही होंगे जो उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए लागू होते हैं।

आरक्षण और छूट:

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं हैं; ये उम्मीदवार अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं; बशर्ते वे अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हों।

2. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी पद के लिए ऊपर दर्शाई गई रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई रिक्ति आरक्षित न हो। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार योग्यता के सामान्य मानक के आधार पर ऐसे पद पर चयन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि ऐसे पद की पहचान पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए उपयुक्त हो।

<u>स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश</u>

क. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग के "बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु दिशानिर्देश" विषय पर का.ज्ञा.सं. 34-02/2015-डीडी-III, दिनांक 29 अगस्त, 2018 और का.ज्ञा.सं. 34-02/2015-डीडी-III (पार्ट), दिनांक 08 फरवरी 2019 के अनुरूप स्क्राइब /रीडर /लैब सहायक के लिए पात्र पीडब्लूबीडी उम्मीदवार अपने विवेकानुसार स्वयं के लिए स्क्राइब/रीडर /लैब सहायक का विकल्प दे सकते हैं अथवा इसके लिए परीक्षा आयोजन संस्था से अनुरोध कर सकते हैं।

ख. इसके अलावा उक्त का.ज्ञा. के पैरा-IV के अनुसार, स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सुविधा केवल दृष्टिबाधित, गतिविषयक (Locomotors) विक्लांगता (दोनों बाजु प्रभावित-बीए) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों को यदि वे ऐसा चाहते हैं, उपलब्ध कराई जाएगी।

ग. बेंचमार्क निःशक्तता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को, स्क्राइब/रीडर /लैब सहायक केवल इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-क) के अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति की लिखने और की-बोर्ड का प्रयोग करने की शारीरिक सीमाएं है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने और की-बोर्ड का प्रयोग करने के लिए स्क्राइब का होना जरूरी है।

घ. अपना स्वयं का स्क्राइब/रीडर /लैब सहायक लाने के लिए विकल्प देने वाले उम्मीदवार के मामले में स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की अर्हता से एक कदम नीचे की होनी चाहिए।

ङ. बाद में यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार को अर्हता से एक कदम नीचे नहीं है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर नामंजूर कर दी जाएगी।

च. तदनुसार, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो उक्त परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और स्क्राइब के लिए पात्र है (जैसा कि उपर पैरा- ख और ग दिया गया है) को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें भारतीय खाद्य निगम से स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय इसका उल्लेख करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार यह जानने और जांच करने के लिए स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं परीक्षा से दो दिन पूर्व स्क्राइब से मिलने के लिए राज्य के एफसीआई के आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर करते हैं जहां पर उनका परीक्षा केन्द्र स्थित है। एफसीआई आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के पते और ई-मेल आई डी एफसीआई वेबसाइट अर्थात <u>http://fci.gov.in/contactUs.php पर उपलब्ध है।</u>

छ. उपर्युक्त परीक्षा में अपना स्वयं का स्क्राइब करने वाले पात्र पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन "स्क्राइब घोषणा फॉर्म (परिशिष्ट-ख)" प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ज. बेंचमार्क निःशक्तता वाले सभी उम्मीदवार जो कि स्क्राइब की सुविधा का लाभ लेने के पात्र है उन्हें चाहे वे स्क्राइब की सुविधा का प्रयोग करे या नहीं, प्रति घंटा 20 मिनट के अतिरिक्त प्रतिपूर्ति समय की अनुमति दी जाएगी।

झ. यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक के लिए पात्र उम्मीदवार यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय एफसीआई स्क्राइब सहायता के लिए आवेदन नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसे एफसीआई से स्क्राइब की आवश्यकता नहीं है और वह अपने आप इसकी व्यवस्था कर सकता है।

ञ. पीडब्लूबीडी उम्मीदवार जो कि स्क्राइब की सहायता ले रहे हैं तथा प्रतिपूर्ति समय का लाभ ले रहे हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन /ऑनलाइन परीक्षा स्थ्ल पर (जो भी लागू) ऊपर किए गए उल्लेख अनुसार आपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

ट. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।

ठ. ये दिशानिर्देश समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरण के अनुरूप परिवर्तन के अधीन हैं।

चयन प्रक्रियाः

एलडीपीई के तहत चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगी।

सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा केंद्रीय रूप से आयोजित की जाएगी और साक्षात्कार के बिना वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। एलडीपीई के लिए वेटेज कुल अंकों का 90% होगा। परीक्षा पत्र दो भागों में होगा, जो इस प्रकार हैं:

परीक्षा संरचना

क्रम सं.	परीक्षा	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	महत्व
पेपर 1	सामान्य अभिक्षमता/अभिरूचि	60	60	60 मिनट	30 %
पेपर 2	पार्ट क	40	40	120 मिनट	20 %
	पार्ट ख	80	80		40%
	कुल	**180**	**180**	**180** मिनट	**90%**

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 5 विकल्प होंगे।
- ऑनलाइन टेस्ट में **नेगेटिव मार्किंग** होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.25 अंक** पेनल्टी के रूप में काटे जाएंगे।

नोट:

1. चयनित उम्मीदवारों की एक सूची और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों की एक सूची होगी। चयन सूची में उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों के बराबर होगी, और प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की संख्या चयन सूची के 0.5 गुना होगी।
2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआई की वेबसाइट और एफसीआई मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयों,

क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों/डिपो कार्यालयों के नोटिस बोर्ड को नियमित रूप से देखते रहें।

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:

निर्दिष्ट पदों के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:

सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन):

पेपर – I

1. सामान्य अभिक्षमता जिसमें शामिल हैं-

· रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी

· सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स

· प्रबंधन और नैतिकता

· कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

पेपर – II

भाग – क

1. भारतीय खाद्य निगम कर्मचारीवृंद विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का संक्षिप्त विवरण और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओपी)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, सरकारी योजनाएं और नवीनतम घटनाक्रम-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, लागत पत्रक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, एफसीआई की वार्षिक रिपोर्ट-पिछले पांच साल, जीएफआर नियम आदि।

भाग – ख

1. सीसीएस नियम, एचआरएमएस सहित कार्मिक से संबंधित परिपत्र और निर्देश, साइलो सहित भंडारण और पीपीपी मॉडल की बुनियादी अवधारणाएं, अनुबंध, परिचालन, डीसीपी संचालन सहित खरीद, थ्रेशोल्ड पैरामीटर, निरीक्षण आदि, आईआर (एल), गुणवत्ता नियंत्रण, वाणिज्यिक / बिक्री, भंडारण हानि और मार्गस्थ हानि, जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, गनीज़ (प्रकार और विनिर्देश) आईटी के माध्यम से सामानों की ऑनलाइन खरीद और सेवाओं को किराए पर लेने सहित खरीद, डिपो ऑनलाइन सिस्टम, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण जैसी नई पहलों सहित पोर्टल (सीएफएसपी) ई-ऑफिस, सीवीसी अधिनियम-2003 सहित सतर्कता, लिंब्स (LIMBS) सहित कानूनी विभागीय जांच कार्यवाही और दिशानिर्देश।

2. अधिनियम जैसे: अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, आरटीआई अधिनियम 2005, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम , 2006 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ।

भारत में खाद्यान्न परिरक्षण और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित अन्य प्रासंगिक विषय।

सहायक महाप्रबंधक (लेखा):

पेपर – I

1. सामान्य अभिक्षमता जिसमें शामिल हैं
· रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
· सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स
· प्रबंधन और नैतिकता
· कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

पेपर – II

भाग – क

1. भारतीय खाद्य निगम कर्मचारीवृंद विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का संक्षिप्त विवरण और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओपी)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, सरकारी योजनाएं और नवीनतम घटनाक्रम-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, लागत पत्रक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

भाग – ख

1. निगम के खातों/मूल प्रविष्टियों की बहियों का रखरखाव।
2. आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली/निगम का लेखा परीक्षा कार्य लेना।
3. एफएपी- एपीपीएस-एपी, एआर, फिक्स्ड एसेट्स, जीएल मॉड्यूल।
4. एफएपी-पेरोल-कर्मचारी, श्रमिक, पेंशन, सीपीएफ।
5. बीटीएस
6. आयकर
7. वस्तु एवं सेवा कर
8. जीएफआर नियम
9. नकद प्रबंधन
10. बजट, लागत (एफसीआई के संदर्भ में), सब्सिडी आदि।

भारत में खाद्यान्न परिरक्षण और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित अन्य संगत विषय।

सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी):

1. सामान्य अभिक्षमता जिसमें शामिल हैं
· रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
· सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स
· प्रबंधन और नैतिकता
· कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

पेपर – II

भाग – क

2. भारतीय खाद्य निगम कर्मचारीवृंद विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का संक्षिप्त विवरण और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओपी)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, सरकारी योजनाएं और नवीनतम घटनाक्रम - एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, लागत पत्रक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

भाग – ख

1. डिपो ऑनलाइन सिस्टम का क्यूसी मॉड्यूल
2. परिपत्र और निर्देश से संबंधित

i. डीसीपी संचालन, थ्रेसहोल्ड पैरामीटर, साइलो सहित भंडारण और पीपीपी मॉडल की बुनियादी अवधारणाओं, परिक्षण और वितरण सहित खरीद।
ii. वर्गीकरण और वर्गीकरण के तरीकों के दौरान अनाज के नमूने और विश्लेषण की पद्धति और नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए उपलब्ध उपकरण।
iii. रोगनिरोधी और रोकथाम के उपचार, मानसून पूर्व धूमन।
iv. खाद्यान्नों के एक समान फोर्टिफिकेशन, विभिन्न मानकों की परिभाषा।
v. धान, चावल और गेहूं की स्वीकृति और अस्वीकृति प्रक्रिया।
vi. बीआरएल स्टॉक्स के लिए अपील प्रक्रिया।
vii. गुणवत्ता शिकायत संबंधी प्रक्रिया।
viii. राज्य पीडीएस को स्टॉक जारी करते समय संयुक्त नमूनों की प्रक्रिया।
ix. पौष्टिक चावल की खरीद और वितरण।
x. पौष्टिक चावल का फोर्टिफिकेशन और उसके परीक्षण।
xi. डीसीपी स्टॉक का निरीक्षण (दो प्रतिशत, दस प्रतिशत, पंद्रह प्रतिशत)।
xii. खाद्यान्न के एफएसएसएआई पैरामीटर।
xiii. विभिन्न प्रकार के भंडारण कीट और इसका जीवन चक्र और नियंत्रण तंत्र।
xiv. वातन की प्रक्रिया।
xv. पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि का चावल निरीक्षण एवं अन्य अनिवार्य/आवधिक निरीक्षण।
xvi. गैर-जारी करने योग्य स्टॉक का वर्गीकरण और इसके निपटान की प्रक्रिया।
xvii. 'सी एंड डी'/अपग्रेडबल स्टॉक का निपटान।

xviii. चावल का पुनर्चक्रण-पहचान और रोकथाम

xix. फीफो के सिद्धांतों के अनुसार खाद्यान्नों का निर्गम/परिचालन

xx. भंडारण/मार्गस्थ में खाद्यान्न की क्षति को रोकने के उपाय

xxi. कच्चे चावल के आयु निर्धारण के लिए मिश्रित संकेतक विधि।

xxii. भारत में खाद्यान्न परिक्षण और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित अन्य संगत विषय।

ऊपर उल्लिखित पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है। पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों से परे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

<u>महत्वपूर्ण सूचना/अनुदेश:</u>

1. उम्मीदवार पोस्ट कोड क, ख, ग में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है। एलडीपीई के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना (एपीएस) केवल एक ही संवर्ग के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और क्रॉस कैडर त्वरित पदोन्नति योजना उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, प्रबंधक (डिपो) और प्रबंधक (सामान्य) दोनों, अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन) के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. तथापि यदि यह पाया जाता है, किसी भी कारण से, उम्मीदवार ने बहु आवेदन प्रस्तुत किए है तब उच्चतर "पंजीकरण संख्या" के साथ और हर तरह से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा विचार किया जाएगा।

3. उम्मीदवार के आवेदित पद के लिए, पद हेतु उसकी मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

4. बुलावा-पत्र डाउनलोड करना
उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र डाउनलोड करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट (www.fci.gov.in) को देखना होगा। बुलावा- पत्र डाउनलोड करने के लिए सूचना ई-मेल/एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी। उम्मीदवार के संगत लिंक पर क्लिक करने पर उसे बुलावा-पत्र डाउनलोड करने के लिए विंडो एक्सेस कर सकता है। उम्मीदवार के लिए बुलावा- पत्र डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक, (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का इस्तेमाल करना अपेक्षित होगा। उम्मीदवार के लिए बुलावा-पत्र पर हाल का पहचान योग्य फोटोग्राफ वरीयता जैसा कि पंजीकरण के दौरान उपलब्ध कराया गया था, उसे निर्धारित स्थान पर चिपकाने की आवश्यकता है (i) बुलावा-पत्र (ii) फोटो पहचान पत्र जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है और बुलावा-पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा उसी फोटो पहचान पत्र सबूत की फोटो प्रति और मूल प्रति लेकर उपस्थित होना होगा।

5. प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परीक्षा के समय और स्थान के उल्लेख के साथ ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व www.hrmsfci.in / www.fci.gov.in से डाउनलोड करना अपेक्षित है, जो उम्मीदवार अपना बुलावा- पत्र ऑनलाइन सृजित नहीं कर पाते हैं, उन्हें परीक्षा की तिथि से कम से कम एक सप्ताह http://cgrs.ibps.in पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

6. देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार अर्थात परीक्षा के लिए बुलावा पत्र में निर्धारित समय के बाद रिपोर्ट करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलावा पत्र में वर्णित रिर्पोटिंग समय परीक्षा शुरू होने के समय से पहले का है। यद्यपि परीक्षा की अवधि 3 घंटा है, उम्मीदवारों को स्थल पर

विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉगिंग इन, अनुदेश देना जैसी विभिन्न औपचारिकताएं इत्यादि पूरी करने के लिए अपेक्षित समय सहित 4 घंटे से अधिक समय तक रूकना पड़ सकता है।

7. पहचान सत्यापन

<u>उम्मीदवारों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में वर्तमान में वैध एफसीआई पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को अपने साथ, परीक्षा हॉल में, बुलावा पत्र के साथ मूल और उम्मीदवार के वर्तमान में वैध एफसीआई पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी लानी चाहिए (बिल्कुल वही नाम जो बुलावा-पत्र पर दिखाई देता है)।</u>

नोट: उम्मीदवारों को एफसीआई पहचान पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी और परीक्षा में शामिल होने के समय परीक्षा बुलावा पत्र के साथ उसकी फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बुलावा पत्र (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) पर दिखाई देने वाला नाम एफसीआई पहचान पत्र पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

8. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के बारे में जानकारी एफसीआई की एचआरएमएस पोर्टल/ वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार वेबसाइट www.hrmsfci.in / www.fci.gov.in पर जा सकते हैं।
9. उम्मीदवार **http://cgrs.ibps.in** पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

<u>सामान्य सूचना/अनुदेश:</u>

1. उम्मीदवारों को विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत और पदों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव को पूरा करने की बात को ध्यान में रखते हुए विकल्प को भरना चाहिये। एक बार विकल्प दिये जाने पर वह अंतिम माना जाएगा और किसी भी स्थिति में इसमें किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण को परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है । प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु स्थिति प्रदर्शित होने के बाद, उम्मीदवारों को अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा, और इसे निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा, जिसे बाहर निकलते समय एकत्र किया जा सकेगा।

3. प्रश्न पत्र में त्रुटियों को परीक्षा होने के 03 दिनों के भीतर http://cgrs.ibps.in पर ध्यान में लाया जाना चाहिये। इसके बाद प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. आवेदन के चरण में, पात्रता, श्रेणी और अन्य पहलुओं के बारे में जांच ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा- पत्र जारी होने से पहले नहीं की जाएगी। हांलाकि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह ध्यानपूर्वक जांच कर लें और अपने आप को संतुष्ट कर लें कि वे विस्तृत भर्ती सूचना में यथा निर्धारित पात्रता की शर्ते पूरी करते है, जो उम्मीदवार भर्ती सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक मानदंड पूरा नहीं करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया में भाग न लें। यदि किसी चरण में यह पता चलता है कि उम्मीदवार भर्ती सूचना में पद के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर ही नामंज़ूर कर दी जाएगी। कृपया नोट कर लें कि उक्त पद के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है।

5. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अपना वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाए क्योंकि इसे भविष्य के पत्राचार के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम पंजीकृत ई-मेल के जरिये परीक्षा के लिए बुलावा पत्र आदि डाउनलोड करने के संबंध में सूचना भेज सकता है। यदि उम्मीदवार की कोई निजी वैध ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सृजित कर लेना चाहिए और इस ई-मेल खाते तथा मोबाइल नंबर को बनाये रखना

चाहिए।

6. सभी उम्मीदवार के लिए अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और कोई यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज बगैर किसी चूक के अपलोड करना अपेक्षित है।

7. एक परीक्षार्थी की लिखित घोषणा पत्र लिखने और लिखने की शारीरिक सीमा के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप क्रमशः अनुलग्नक क और ख में दिए गए हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन इन प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को अन्य आवश्यक संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।.

8. परीक्षा केंद्रों की राज्यवार की सूची निम्नानुसार हैः

आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, गुंटूर, राजमुंदरी
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली/एनसीआर
गुजरात	अहमदाबाद
हरियाणा	अंबाला
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, बद्दी, हमीरपुर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू
झारखण्ड	रांची
कर्नाटक	बेंगलुरू
केरल	तिरुवनंतपुरम
मध्य प्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	मुंबई
ओडिशा	भुवनेश्वर
पंजाब	चंडीगढ़/मोहाली
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई
तेलंगाना	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता

टिप्पणी:

क. परीक्षा ऑनलाइन संबंधित बुलावा पत्रों में दिए गए स्थानों पर अपेक्षित की जाएगी।

ख. परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान/तिथि/सत्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएग। उम्मीदवारों को केंद्रों का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए और इसे अपने आवेदन में सही प्रकार से इंगित करना चाहिए।

ग. भारतीय खाद्य निगम के पास अपने विवेक पर किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने और/अथवा कुछ अन्य केंद्रों का मिलाने का अधिकार सुरक्षित है जो कि प्रत्युउत्तर, परीक्षा की सम्भाव्यता पर निर्भर करेगा।

घ. भारतीय खाद्य निगम के पास उम्मीदवार को उसके दिए गए विकल्प से अन्य कोई केंद्र आबंटित करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

ङ. उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्च पर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और भारतीय खाद्य निगम किसी भी प्रकार की चोट लगने या हानि आदि होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

च. उम्मीदवार द्वारा केंद्र का एक बार चयन कर लिये जाने पर उसे अंतिम माना जाएगा।

छ. यदि "ऑनलाइन"परीक्षा के लिए किसी केंद्र विशेष के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार विकल्प नहीं देते हैं तो भारतीय खाद्य निगम के पास उन उम्मीदवारों को किसी अन्य नजदीकी केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा यदि किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक उम्मीदवारों की संख्या हो जाती है तो भारतीय खाद्य निगम के पास उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. **मामलों का समाधानः** किसी विशेष पद पर बराबरी के मामले में**,** ऑनलाइन एलडीपीई परीक्षा के पेपर- II में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार बराबरी का समाधान किया जाएगा। यदि अब भी बराबरी बनी रहती है तो जन्म तिथि के अनुरूप प्रक्रिया का पालन किया जाएगा अर्थात जिस उम्मीदवार की आयु अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अंत में यदि अब भी बराबरी बनी रहती है तो बराबरी का समाधान नाम के अक्षर क्रम को संदर्भित करते हुए किया जाएगा अर्थात जिस उम्मीदवार को नाम अक्षर क्रम में पहले आता है उसे वरीयता दी जाएगी।

10. मात्र आवेदन प्रस्तुत करने और पात्रता शर्तें पूरी करने से किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा आदि में उपस्थित होने के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है।

11. पात्रता मानदंड को पूरा किए बगैर किसी भी पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट करने से उम्मीदवार को पद पर अंतिम चयन के लिए कोई दावा नहीं मिलेगा।.

12. उम्मीदवारों को अतिरिक्त अनुदेशों, यदि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिसूचित किए जाते है, का पालन करना चाहिए।

13. इन रिक्तियों को भरा जाना भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई भी कानूनी मामले के परिणाम के अधीन होगा।

14. किसी भी चरण में आवेदन के परिणाम के बारे में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. चयनित उम्मीदवारों को निगम के हित में देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

16. परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को छुट्टी के लिए आवेदन नहीं करना होगा और इसे आधिकारिक दौरा माना जाएगा। हालांकि, उम्मीदवारों को उनकी पात्रता के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए सबसे छोटे रास्ते से आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता (टीए) दिया जाएगा। हालांकि, परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को कोई महंगाई भत्ता (डीए) / आवास शुल्क नहीं दिया जाएगा।

17. उम्मीदवार को दिंनाक 31.12.2021 तक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए। उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे पद के लिए आवेदन करने से पहले सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

18. ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र जारी होने से उम्मीदवारी की स्वीकार्यता का कोई अधिकार नहीं हो जाएगा और उम्मीदवारों को इसी पात्रता मानदंड पूरा करने की पावती नहीं मान लेना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय यह सुनिश्चित

करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है कि उम्मीदवार द्वारा लाए गए दस्तावेज संबंधित पद के लिए अपेक्षानुसार हर तरह से पूर्ण है किसी भी चरण में दस्तावेज आगे सत्यापन के विषयाधीन है।

19. आवेदन करते समय सतर्कता की स्थिति, सफल उम्मीदवारों की एपीएआर स्थिति, अनुभव आदि का सत्यापन लिखित परीक्षा के पूरा होने के बाद, लेकिन परिणाम के प्रकाशन से पहले विभागीय रूप से किया जाएगा।

20. जो उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंड पूरा करते है उन्हें रिक्तियों के अनुसार और मेरिट सूची के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

21. यदि प्रेषित किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न भाषा में है, तो एक राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित अंग्रेजी या हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत करनी होगी।

22. भारतीय खाद्य निगम अपने विवेकानुसार पुनः परीक्षा आयोजित करने अथावा किसी भी चरण में उम्मीदवारों से काई भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. किसी भी प्रकार से निगम को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप अयोग्यता हो सकती है और उम्मीदवारी नामंजूर की जा सकती है।

24. परीक्षा के आयोजन और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में निगम का फैसला अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी पूछताछ/ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

25. परीक्षा के संचालन कुछेक समस्या होने की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता जो कि टेस्ट डिलीवरी/अथवा सृजित हो रहे परिणाम को प्रभावित कर सकती है। ऐसी अवस्था में इस तरह की समस्या में सुधार करने के सभी प्रयास किए जाएगे, जिसमें उम्मीदवारों के मूवमेंट, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। पुनः परीक्षा आयोजन संस्था के पूर्ण विवेकाधीन होगा। पुनः परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का कोई दावा नहीं होगा, जो उम्मीदवार मूवमेंट करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे अथवा टेस्ट डिलीवरी की देरी की प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं होंगे उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा।

26. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र के लिए आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों के स्कोर को विभिन्न सत्रों में प्रयुक्त भिन्न-भिन्न टेस्ट बैटरीज के कठिन स्तर में थोडा अंतर करने के लिए समायोजन हेतु समानता प्रदान की जाएगी। यदि किसी भी केंद्र में अथवा किसी उम्मीदवार के लिए कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न होती है अथवा क्षमता कम होती है तो अपेक्षित होने पर एक से अधिक सत्र हो सकता है।

27. पृथक-पृथक उम्मीदवारों के प्रत्युत्तर (उत्तर) का सही और गलत उत्तरों की समानता की पद्धति का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ मूल्याकंन किया जाएगा। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया में यह पता चला/निष्कर्ष निकला की प्रत्युत्तरों को आपस में बांटा गया है और प्राप्त स्कोर वास्तविक/वैध नहीं है,तो भारतीय खाद्य निगम के पास संबंधित उम्मीदवारों का परिणाम रोकने और उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

28. उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में अपना पेन नहीं लायें। पेन की व्यवस्था एफसीआई करेगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में रफ शीट प्रदान की जाएगी और उम्मीदवार को रफ शीट को प्रयोगशाला / स्थान से बाहर निकलते समय या परीक्षा अधिकारियों द्वारा बताए गए निर्धारित स्थान पर दिए गए बॉक्स में डालना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनकी **उम्मीदवारी को रद्द करने योग्य** है।

29. स्कोर्स पर पहुंचने की प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर्स निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करने हुए प्राप्त किए जाते हैं:

(i) उम्मीदवार द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों को स्कोर पर पहुंचने के लिए माना जाता है।

(ii) उम्मीदवार द्वारा इस प्रकार प्राप्त अंकों को समान अंक प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर, यदि कोई हो, में मामूली अंतर का ध्यान रखने के लिए समकक्ष बनाया गया है।*

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी फॉर्मो के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार फॉर्म के बराबर किया जाता है।

30. बॉयोमेट्रिक डाटा – कैप्चरिंग और सत्यापन:

बॉयोमेट्रिक डाटा (हाथ के अंगूठे का निशान) और उम्मीदवारों का फोटोग्राफ ऑनलाइन परीक्षा की तिथि को प्राप्त किया जाएगा। बॉयोमेट्रिक डाटा और फोटोग्राफ का बाद में सत्यापन किया जाएगा। इसकी स्थिति (मिलान होता है अथवा नहीं) के संबंध में बॉयोमेट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि निर्बाध प्रक्रिया के संचालन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें।

- यदि उंगलियां कोडेड (स्टैम्पड इंक/मेहंदी/रंग आदि) है तो उनकी अच्छी तरह से धुलाई सुनिश्चित करें ताकि कोटिंग परीक्षा/ज्वाइनिंग तिथि से पहले पूरी तरह से हट जाए।
- यदि उंगलियों पर धूल है या वे धूंधली है तो अच्छी तरह से धो लें तथा फिंगर प्रिंट (बॉयोमेट्रिक) लेने से पहले इन्हें सुखा लें!
- दोनों हाथों की उंगलियां सुखी हो। यह सुनिश्चित करें यदि उंगलियां गीली है, प्रत्येक उंगली को साफ कर लें और सुखा लें।
- यदि मुख्य उंगली (अंगूठा) को कैप्चर किया जाना है और वह चोटिल/क्षतिग्रस्त है, परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करें।

नोट: किसी भी महामारी जैसी स्थिति या सरकारी अधिकारियों द्वारा इस आशय के किसी भी निषेध के मामले में भारतीय खाद्य निगम / परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय द्वारा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया

1. निम्नांकित के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं

क. आवेदन पत्र पंजीकरण

ख. दस्तावेज स्कैन तथा अपलोड

उम्मीदवार 15.09.2022, को 10:00 बजे (भा.म.स.) से 14.10.2022, 16:00 बजे तक (भा.म.स.) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा आवेदन की कोई अन्य पद्धति स्वीकार नहीं जाएगी।

2. पंजीकरण से पूर्व नोट किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

(i) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीवारों अपने स्कैन करें:

- फोटोग्राफ (4.5से.मी. × 3.5 से.मी.)
- हस्ताक्षर (काली स्याही के साथ)
- बांये अंगूठे का निशान (सफेद कागज पर काली अथवा नीली स्याही के साथ)
- एक हस्त लिखित घोषणा (सफेद कागज पर काली स्याही के साथ) (मूल पाठ नीचे दिया गया है)

यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सभी स्कैंड दस्तावेज विज्ञापन में दिए गए अनुसार अपेक्षित विनिर्देशों का अनुपालन करते है।

(ii) बडे अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा।

(iii) बांए अंगूठे का निशान समुचित रूप से स्कैन होना चाहिए और धूंधला नहीं होना चाहिए। (यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाएं अंगूठे का प्रयोग कर सकता/सकती है।)

(iv) हस्तलिखित मूल पाठ निम्नानुसार है-
"*मैं,..............................(उम्मीदवार का नाम), घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी* ***सूचना*** *सही, सत्य और वैध है। जब भी* ***जरूरी दस्तावेज अपेक्षित होंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।***"

(v) उपरोक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार के हस्तलेखन में तथा केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए यदि इसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथावा किसी अन्य भाषा में लिखा तथा अपलोड किया गया है तो आवेदन-पत्र को अवैध माना जाएगा। (दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों के मामले में जो लिख नहीं सकते/सकती है वे घोषणा के मूल पाठ को टंकित घोषणा के नीचे बाये हाथ का निशान अकिंत करें तथा विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज अपलोड करें।

(vi) एक वैध वैयक्तिक ई-मेल आईडी मोबाइल नम्बर रखें, जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखें जाने चाहिए। परीक्षा इत्यादि के लिए बुलावा-पत्र डाउनलोड करने हेतु सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से प्रेषित कि जा सकती है। यदि किसी उम्मीदवार के पास एक वैध वैयक्तिक ई-मेल आईडी नहीं है तो उसको ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी नवीन ईमेल आइडी तथा मोबाइल नंबर सृजित कर लेना चाहिए तथा उस ईमेल खाता मोबाइल नंबर को अवश्य अनुरक्षित करें ।

(vii) आवेदन पत्र पंजीकरण

1. उम्मीदवार भारतीय खाद्य निगम की एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेवसाइट (www.fci.gov.in) पर जाए तथा विकल्प "अप्लाई आनलाइन" पर क्लिक करें जो एक नवीन स्क्रीन खोलेगा।
2. आवेदन पत्र पंजीकरण करने के लिए **टैब नवीन पंजीकरण करने के लिए यहां क्लिक करें**, चुने तथा नाम, सम्पर्क विवरण एवं ईमेल आइडी प्रविष्टि करें। सिस्टम द्वारा एक अंनतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सृजित किया जाएगा तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा । उम्मीदवार को अंनतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए । अंनतिम पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड निदर्शित करते हुए एक ईमेल एवं एसएमएस भी प्रेषित किया जाएगा ।
3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पत्र को पूरा करने में असमर्थ होता/ होती है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट"टैब चयन करके पहले प्रविष्ट किए गए डाटा को सुरक्षित कर सकता/सकती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पूर्व उम्मीदवारों को सलाह है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विवरणों को सत्यापित करने तथा उसको संशोधन हेतु यदि अपेक्षित तो "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें। दृष्टिबाधित विकलांग उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र को ध्यानपूर्वक भरना चाहिए तथा अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही है, विवरणों को सत्यापित कर लें / सत्यापित करा लें।
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरे तथा भरे गये विवरणों को स्वयं सत्यापित कर ले क्योंकि फाइनल सब्मिट बटन क्लिक करने के पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव/ विचार नहीं होगा।
5. उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके पिता/पति इत्यादि का नाम आवेदन पत्र में सही ढ़ग से ठीक वैसा ही अंकित किया जाना चाहिए जैसा यह प्रमाण-प्रत्रों/अंक प्रत्रों/ पहचान प्रमाण-प्रत्र में दर्शाया है। कोई भी परिवर्तन/ अंतर पाये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी।
6. 'वैलिडेट योर डिटेल्स' तथा "सेव एंड नेक्स्ट" बटन पर क्लिक करके अपने विवरणों को वैध करें एवं अपने आवेदन पत्र को सुरक्षित करें ।

7. उम्मीदवार बिन्दु 'ग' के अंतर्गत विवरणित फोटो तथा हस्ताक्षर की स्कैनिंग एंव अपलोड करने हेतु दिशा निर्देशों में दिए गए विनिर्देशकों के अनुसार फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड कर सकते है।

8. उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र के अन्य विवरणों को भरने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं।

9. प्रीव्यू के लिए प्रीव्यू टैब क्लिक करें तथा "कम्पलीट रजिस्टेशन" से पहले सम्पूर्ण आवेदन पत्र सत्यपित करें।
10. विवरणों को आशोधित करें यदि अपेक्षित, हो तथा 'फाइनल सब्मिट' पर केवल यह सत्यापित और सुनिश्चित करनें के पश्चात ही क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटो, हस्ताक्षर तथा भरे गये विवरण सही है।
11. सब्मिट बटन पर क्लिक करें।

ख.<u>दस्तावेज स्कैन तथा अपलोड करने हेतु दिशा- निर्देश:</u>

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज हस्ताक्षर, बायें अंगूठे की छाप तथा हस्तलिखित घोषणा पत्र रखना अपेक्षित हैः

फोटोग्राफ इमेज: (4.5 से.मी × 3.5 से.मी)

- हाल ही में खींचा पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए।
- यह सुनिश्चत करें कि फोटो रंगीन हो और हल्का वरीयतः सफेद पृष्ठभूमि के साथ खींचा गया हो।
- कैमरे की ओर सामान्य चेहरे के साथ सीधा देखें।
- यदि फोटो धूप में लिया गया हो तो सूर्य आपके पीछे होना चाहिए अथवा स्वयं को छांव में रखें ताकि आप तिरछी नजर से न देख रहें हों और वहां गहरी छांव नहीं होनी चाहिए।
- यदि आप फ्लैश का प्रयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि **"रेड आइ"** नहीं होनी चाहिए।
- यदि आप चश्मा पहनतें हों तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं हो और आपकी आंखे स्पष्ट दिखाई पड़ती हो।
- टोपी हैट और धूप का चश्मा स्वीकार्य नहीं है, सिर पर धार्मिक पहनावा की अनुमति है किंतु वह आपके चेहरे को ढ़के नहीं ।
- आकार 200 x 230 पिक्सल(वरीयतः) हो।
- फाइल का आकार 20के.बी.–50 के.बी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें की स्कैन इमेज का आकार 50 के.बी. से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि फाइल का आकार 50 के.बी से अधिक है तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान, डीपीआई रिजोल्यूसन, रंगों की संख्या इत्यादि के अनुसार स्कैनर की सेटिंग एडजस्ट करें । .

हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा चित्र:

आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने होंगे।

  - **आकार** 140 x 60 **पिकसल्स** (**वरीयता**)
  - फ़ाइल का आकार 10kb - 20kb के बीच होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं है**।**

- आवेदक को अपने बाएं अंगूठे का निशान सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाना है।
  - <u>फाइल का प्रकार:</u> जेपीजी /जेपीईजी

- <u>आकार:</u> 240 x 240 पिकसल्स 200 डीपीआई में (अपेक्षित गुणवत्ता वरीयतः) अर्थात 3 से.मी * 3 से.मी (चौड़ाई * उचांई)
- <u>फाइल का आकार:</u> 20 केबी – 50 केबी

- • आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी।
  - <u>फाइल का आकार</u>: जेपीजी / जेपीईजी
  - <u>आकार</u>: 800 x 400 पिकसल्स 200 डीपीआई में (आवश्यक गुणवत्ता के लिए वरीयतः) अर्थात 10 cm * 5 cm (चौड़ाई * ऊंचाई)
  - <u>फाइल का आकार</u>: 50 केबी – 100 केबी
- हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की होनी चाहिए किसी अन्य व्यक्ति की नहीं ।
- उपस्थिति पत्रक या बुलावा-पत्र पर परीक्षा के समय उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर के समान नहीं होंगे तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- कैपिटल लेटर्स में किए गए हस्ताक्षर/हस्त लिखित घोषणा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दस्तावेज स्कैन करना:

- स्कैनर रिजोल्यूशन 200 डीपीआई के न्यूनतम (डॉटस प्रति इंच) पर रखें।
- कलर को ट्रू कलर पर सेट करें।
- ऊपर बताए अनुसार फ़ाइल का आकार
- बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे एक स्कैनर की इमेज क्रोप करें और तत्पश्चात अंतिम आकार (उपर यथा विनिर्दिष्ट) तक इमेज को क्रोप करने के लिए अपलोड एडिटर का प्रयोग करें।
- इमेज फाइल जीपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए। एक उदारण- फाइल का नामः image01.jpg अथवा image01.jpeg. आकार फोल्डर फाइल लिस्ट करने पर अथवा माउस को फाइल इमेज आइकन पर चलाने से चेक किया जा सकता है।
- उम्मीदवार को एमएस विंडोज/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते है, दस्तावेज आसानी से जेपीईजी प्रारूप में ,एमएस पेंट अथ्वा एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर सकते हैं, स्कैन किये गये दस्तावेज किसी भी प्रपत्र में 'Save As' विकल्प का प्रयोग करते हुए फाइल मेनू में .jpg / .jpeg प्रपत्र में सेव किया जा सकता है। आकार को क्रोप और रिसाइज विकल्प का प्रयोग करते हुए एडजस्ट किया जा सकता है।

दस्तावेज अपलोड करने के लिए प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए पृथक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा ।
- संबंधित लिंक "अपलोड फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा" पर क्लिक करें।
- ब्राउज और लोकेशन का चयन करें जहां स्कैन्ड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा पत्र फाइल को सेव किया गया है।
- फाइल पर क्लिक कर फाइल का चयन करें।

- “ओपन/अपलोड” बटन को क्लिक करें।
- यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप यथा निर्धारित प्रपत्र में नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- अपलोडिड इमेज का प्रीव्यु इमेज की गुणवत्ता को देखने मे मदद करेगा। यदि अस्पष्ट धुंधली है तो उसे संभावित क्वलिटी के लिए रि-अपलोड किया जाए।
- आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को निर्दिष्ट के रूप में अपलोड नहीं करते हैं।

टिप्पणी:

(1) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो उम्मीदवार का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में फोटो / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के पश्चात उम्मीदवारों को यह जांच करनी चाहिए कि छाप स्पष्ट हैं तथा सही ढंग से अपलोड की गयी है। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा प्रमुखता से दृष्यमान नहीं है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को एडिट करें तथा प्रपत्र जमा करने से पूर्व अपनी फोटो या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा को पुनः अपलोड करें।

(3) उम्मीदवार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की है और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

(5) यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया जाता है तो परीक्षा के लिए प्रवेश को अस्वीकार/अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(6) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

(7) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से जनरेटिड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें"।
- स्थान जहां स्कैन बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल सेव की गई है, उस स्थान को बाउस और चयन करें।
- फाइल पर क्लिक कर फाइल को चयन करें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन को क्लिक करें आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आप यथानिर्दिष्ट अपना बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते है।
- यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप यथा निर्धारित रूप में नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।

- अपलोड की गई इमेज का प्रीव्यू इमेज की गुणवत्ता देखने में सहायता करेगा, अस्पष्टता/धुंधलेपन के मामले में इन्हें अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड करें।

टिप्पणी:

1. यदि बाएं अंगूठे का निशान अथवा हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो उम्मीदवार का आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के पश्चात उम्मीदवारों को यह जांच करनी चाहिए कि छाप स्पष्ट हैं तथा सही ढंग से अपलोड की गयी है। यदि बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा प्रमुखता से दृष्यमान नहीं है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को एडिट करें तथा प्रपत्र जमा करने से पूर्व अपनी फोटो बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा को पुनः अपलोड करें।
3. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से जनरेटिड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।.

कदाचार/अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को उनके हित में परामर्श दिया जा रहा है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छुपाएं एवं झूठी, बनावट एवं छेड़छाड़ की हुई सूचना प्रस्तुत न करें। परीक्षा के समय या किसी परवर्ती, चयन में यदि कोई उम्मीदवार निम्न का दोषी है (या पाया गया है):

(i) अनुचित साधनों का प्रयोग करना या

(ii) छद्मरूप धारण करने या किसी या किसी व्यक्ति द्वारा छद्म प्रतिनिधि उपलब्ध कराने या

(iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार या किसी भी उद्देश्य से मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक आदि किसी भी तरीके से किसी भी रूप में संपूर्ण या अंशतः परीक्षा की विषय वस्तु या किसी सूचना का प्रकरण, प्रकाशन, पुनः सृजन, परेषण, भंडारण या विषय वस्तु को प्रसारित या स्टोर करके देखने का दोषी पाया जाना अथवा

(iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई गलत या अनियमित तरीके अपनाने या

(v) गलत तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए कोई समर्थन प्राप्त करने, अथवा

(vi) परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या समान तरह के संचार का कोई इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने से आदि से उम्मीदवार आपराधिक कार्यवाही के अतिरिक्त का भागी होगा:

(क) जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित माना जाएगा।

(ख) निगम द्वारा संचालित भविष्य के एलडीपीई से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाना है।

अंनतिम अनुसूची		
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना	**15.09.2022, 10:00 बजे से (भा.मा.स)**
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय	**14.10.2022, 16:00 बजे तक (भा.मा.स)**
3.	डाउनलोड के लिए एचआरएमएस पोर्टल / वेबसाइट पर बुलावा पत्रों की उपलब्धता	परीक्षा की तिथि घोषित होने से 10 दिन पूर्व
4.	ऑनलाइन परीक्षा की तिथि	एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट **www.fci.gov.in पर घोषित की जाएगी, अंनतिम रूप से 2022 में .... माह में।**

नोट: उम्मीदवार नियमित अपडेट के लिए एफसीआई की एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट **www.fci.gov.in** पर जा सकते हैं।

ऑनलाइन पंजीकरण केवल 15.09.2022, 10:00 बजे (भा.मा.स.) से 14.10.2022, 16:00 बजे (भा.मा.स.) सक्रिय रहेगा। अंतिम समय की भीड़-भाड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त अग्रिम में आवेदन करें। भारतीय खाद्य निगम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने में नेटवर्क समस्याओं अथवा किसी अन्य समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

परिशिष्ट-क

लिखने के लिए परीक्षार्थी की शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कु. .... (उम्मीदवार का नाम विक्लांगता के साथ) .... के साथ पीड़ित एक व्यक्ति (विक्लांगता का स्वरूप तथा प्रतिशत, विक्लांगता प्रमाण पत्र में उल्लेखितानुसार) पुत्र/पुत्री .... निवासी .... (ग्राम/जिला/राज्य) की जांच कर चुका हूं और उल्लेख करता हूं कि वह शारीरिक अक्षमता युक्त है, जो उनकी विकलांगता के कारण उनकी लेखन क्षमताओं को बाधित करती है।

हस्ताक्षर
एक सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम एवं पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखरेख केन्द्र का नाम मोहर सहित

स्थान:
दिनांक:

टिप्पणी:
प्रमाण पत्र सुसंगत शाखा/निःशक्तता के विशेषज्ञ (अर्थात दृष्टि क्षीणता नेत्रविज्ञानी, गतिविषयक(LOCOMOTOR) निःशक्तता अस्थिरोग विशेषज्ञ/पीएमआर) द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-ख

घोषणा

हम अधोहस्ताक्षरी, श्री/श्रीमती/कु. .... पात्र उम्मीदवार ....योग्यताधारक तथा श्री/श्रीमती/कु. .... पात्र लेखक (स्क्राइब) .... योग्यता धारक पात्र उम्मीदवार के लिए, एतद् द्वारा घोषणा करते हैं किः

1. स्क्राइब को उम्मीदवार अपनी निजी लागत पर निजी पंसद के अनुसार चिंहित किया गया है।

2. यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की घोषणा के अनुसार नहीं है तथा स्क्राइब की योग्यता परीक्षा दे रहे उम्मीदवार की योग्यता से एक चरण नीचे नहीं है तो उसकी उम्मीदवारी संक्षेपतः अस्वीकृत कर दी जाएगी। ऐसे मामले में उम्मीदवार पद हेतु अपना अधिकार तथा उससे संबंधित दावा खो देगा।

3. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि लेखक (स्क्राइब) स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक लेखक (स्क्राइब) की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।

4. उम्मीदवार नेत्रहीनता गतिविषयक और निःशक्तता (दोनों बाहे प्रभावित- बीए) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात संवर्ग के अंतर्गत मानक निःशक्तता युक्त व्यक्ति है।

5. मानक निःशक्तता युक्त अन्य संवर्ग के व्यक्तियों के मामले में उम्मीदवार को स्क्राइब के प्रावधानों की अनुमति प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि प्रलेख सत्यापन के समय पर उन्हें निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-क) में सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का एक अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मैं लिखने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम हूं और मेरी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का.ज्ञा.सं.34-02/2015 डीडी-III दिनांक 29 अगस्त,2018 के प्रावधानों के अनुसार स्क्राइब आवश्यक है।

6. नियमानुसार स्क्राइब की सेवा लेने वाला उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय हेतु पात्र है।

7. समय के महत्व तथा परीक्षन प्रतिस्पर्धी स्वरूप का होने के दृष्टिगत उम्मीदवार संगठन के चिकित्सा अधिकारी को पूर्णतः संतुष्ट करता है कि उसको स्क्राइब के इस्तेमाल की आवश्यकता थी क्योंकि उसकी गति उपरोक्त बिंदु 3 में उल्लेखित निःशक्तताओं द्वारा प्रभावित होती है।

8. उम्मीदवार सुनिश्चित कर चुका है कि स्क्राइब उसी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक उम्मीदवार नहीं है।

9. स्क्राइब सुनिश्चित कर चुका है कि वह उसी भर्ती गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

10. उपर हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कथन हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। हम यह भी वचन देते है कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह प्रकट होता है कि हम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तथा/अथवा कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना गलत/मिथ्या है अथवा की हमने कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी (उम्मीदवार तथा स्क्राइब दोनों यदि वह उसी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके/चुकी है) परीक्षा के परिणाम पर ध्यान दिए बगैर निरस्त हो जाएगी। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात भी इनमें से कोई कमियां होती हैं/प्रकट होती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों हस्ताक्षरकर्ता आपराधिक अभियोजन के भागी होंगे।

मैं,____(**स्क्राइब का नाम**) प्रमाणित करता हूं कि मैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं हूं।.

मैं,____(**उम्मीदवार का नाम**) इस भर्ती हेतु उम्मीदवार, प्रमाणित करता हूं कि मैं सुनिश्चित कर चुका हूं कि उपरोक्त स्क्राइब इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

हमारे हस्ताक्षर तथा संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं: -

	स्क्राइब	**उम्मीदवार**
	हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
	नाम:	नाम:
	पता:	
स्क्राइब की फोटो	संपर्क संख्या.:	संपर्क संख्या.:

____

निरीक्षक के हस्ताक्षर

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति मे अँग्रेजी पाठ मान्य होगा |